न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2022
आरसीएमएस नं0 2022/72
225 आरटीएक्ट

राजाराम पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एफटीपी वार्ड नं. 03 गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. सरोजनी पुत्री
2. औमप्यारी पुत्री
3. बीरमा देवी पुत्री
4. सुल्तान सिह पुत्री

जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. भगवान पुत्र मनीराम
6. प्रदीप पुत्र औमप्रकाश
7. अनुसुईया पत्री औमप्रकाश
8. रमेश पुत्र औमप्रकाश
9. रोशनी देवी पत्नी औमप्रकाश
10. सन्दीप कुमार पुत्र औमप्रकाश

जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एफटीपी 'बी' तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.03.2022 सहायक कलक्टर टिब्बी प्रकरण संख्या 9/2020 बअनवानी राजाराम बनाम सरोजनी देवी आदि

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:02 IST
Reason: SelfAttested

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 2 ता 10

निर्णय दिनांकः– 8.6.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि चक 1 एफटीपी के खाता संख्या 55/39 में 5.819 है0 व 1 एफटीपी 'बी' में खाता संख्या 107/66 के खाता संख्या 55/66 में कुल 2.024 है0 आराजी मनीराम की थी जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व औमप्रकाश का 1/7–1/7 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुआ और अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपना विरास्तन हक हिस्सा प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 4, 5 व औमप्रकाश के पक्ष में तर्क कर दिया तथा समस्त आराजी में प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 4, 5 व औमप्रकाश का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है उसी अनुसार प्रार्थी के अधिपत्य में आराजी चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के औरतजात का फायदा उठाते हुए दस्तबरदारी का कहकर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अपने नाम विक्रय पत्र करवा लिया व दुर्भि संधी कर प्रार्थी का हक मारने की गर्ज से अप्रार्थी सं0 1 से उसके हिस्से की दस्तबरदारी दिनांक 14.02.2019 को निष्पादित करवा दी। कोई भी सह खतेदार विशिष्ट सह खातेदार के पक्ष में अपना हक तर्क नहीं कर सकता। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा त्याग किया गया अपना हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अप्रार्थी संख्या 6 ता 10 को 1/4–1/4 प्रत्येक अनुपातिक रूप से प्राप्त होना चाहिए। उक्त दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थी संख्या 4, 5, 9 आराजी अपने नाम दर्ज करवाकर अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल करने पर उतारू है। जिस पर प्रार्थी ने स्थगन आदेशजारी करने का निवेदन किया। एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है एवं अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:02 IST
Reason: SelfAttested

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4, 5, व 9 संयुक्त खाता की संयुक्त आधिपत्य व धारण की आराजी में से अच्छी अच्छी किस्म के विशिष्ट बीघे दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाकर किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बैय करने पर उतारू है। संयुक्त आधिपत्य व धारण की आराजी खाता तकसीम करवाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जा सकती है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई गौर नहीं किया है। दस्तबरदारी से सभी अंशधारीयों के हित में सम भाग की दर से विस्तृत हो जाते है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के द्वारा अपने हक का परित्याग किया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा करवाई गई दस्तबरदारी को रेस्पोडेण्ट संख्या 4, 5 व 9 के पक्ष में विधि सम्मत मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल खारीजी के है। वादग्रस्त आरजी को विवाद के निपटारे तक यथास्थिति कायम रखना अदालतों का दायित्व है। यदि भूमि को रहन बैय कर दिया जाता है तो प्रकरण में और पेचिदगियां बढ़ेंगी अपीलाण्ट अपने हक से महरूम हो जायेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की आरजी को अप्रार्थी संख्या 4 और 5 को सप्रतिफल विक्रय किया है और पंजीकृत बेयनामे साथ ही भूमि का स्वामित्व भी परिवर्तित हो जाता है। अपीलाण्ट सरोजनी द्वारा उक्त खाते में अपने हक व हिस्से की भूमि का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 4, ,5, 9 को किया गया है। उक्त बैयनामों ओर दस्तबरदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दराम भी हो चुका है। अप्रार्थी ने अपनी इच्छानुसार हकत्याग पत्र और बैयनामे संपादित करवाये हैं। पंजीकृत दस्तावेजों को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अप्रार्थी संख्या 2 के औरत जात व अनपढता का फायदा उठते हुए दस्तबरदारी का कहकर अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2019 निष्पादित करवा लिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने पूर्व में ही यह भूमि [illegible] अप्रार्थी संख्या 4, 5 व औमप्रकाश के वारिसान के पक्ष में [illegible] की हुई है। [illegible] संख्या 4, 5 व 9 ने आपस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

दुर्भि संधी कर प्रार्थी का हक मारने की गर्ज से प्रार्थी सं0 1 से उसके हिस्सा की भूमि की दस्तरबदारी अपने हक में दिनांक 14.02.2019 को निष्पादित व रजिस्टर्ड करवा ली है जो विधि विरूद्ध है। न्यायालय का मत है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अभिलिखित खातेदार थी और दूसरे अभिलिखित सह काश्तकारों को सप्रतिफल पंजीकृत बैयनामा/दस्तबरदारी की गई है। पंजीकृत दस्तावेंजो को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है एवं ना ही इन्हें किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में ऐसी कोई विधि त्रुटि नही पाते हैं जिसके आधार पर इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.03.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/6/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:02 IST
Reason: SelfAttested